न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0– 25/19–20

मो0 गांगी पहाड़िन बनाम् रैयान मौजा–आरबोतल

–: आदेश :–

2.4.21

वर्तमान प्रधान नियुक्ति की प्रकिया आवेदिका मो0 गांगी पहाड़िन, पे0–स्व0 लकमा पहाड़िया, सा0–आरबोतल, थाना व अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के आवेदन पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत मौजा–आरबोतल नं0–32P के प्रधान की मृत्यु के फलस्वरूप रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभ किया गया है।

आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन का जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के पत्रांक–169/रा0, दिनांक–09.02.2021 से प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–आरबोतल नं0–32P प्रधानी मौजा है। आवेदिका मो0 गांगी पहाड़िन, मौजा–आरबोतल नं0–32P के अंतर्गत जमाबंदी रैयत लकमा पहाड़िया की पत्नी है। आवेदिका के पति स्व0 लकमा पहाड़िया उक्त प्रधानी मौजा के अंतिम प्रधान थे, जिनकी मृत्यु दिनांक–24.02.2019 को हो गई है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 6 के तहत अंतिम ग्राम प्रधान की पत्नी आवेदिका मो0 गांगी पहाड़िन को मौजा– आरबोतल नं0–32P का प्रधान नियुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

किसी भी व्यक्ति या प्रधिकार द्वारा उक्त नियुक्ति पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। इससे स्पष्ट है कि आवेदिका मौजा के 16आना रैयतों को सामान्यतः स्वीकार है तथा उनके विरूद्ध संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 के तहत् वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1950 के अनुसूची–V की उपधारा–3 के अनुसार The office of Headman being hereditary the next heir who is titled should be Headman के आलोक में आवेदक के आवेदन के विरूद्ध मौजा के 16आना रैयतों से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जांच प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका मो0 गांगी पहाड़िन, पे0–स्व0 लकमा पहाड़िया, सा0–आरबोतल, थाना व अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् मौजा– आरबोतल नं0–32P का प्रधान नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–7 के तहत् कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 26/04/21

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

(हस्ताक्षर) 26/04/21

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

F/Order.

25.1.22

अभिलेख उपस्थापित।

आवेदिका श्री गांगी महाड़िन पति- लखन महाड़िया, साकिन - आरकोला थाना - पोड़ैयाहाट, जिला - गोड्डा के द्वारा मौजा - आरकोला खा०- 32 P का लगानरसीद के साथ चालान की प्रति जमा किया गया है। मौजा का कुल वार्षिक लगान 20=00 (बीस) रु मात्र है। प्रधानी पट्टा निर्गत करें।

25/01/22

अनुमण्डल पदाधिकारी
महागामा

चालान नं० — 2/2
दि० — 21.1.22

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 13:38:07 +05:30
Location: 192.168.8.107